(85)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/ग्वालियर/भू.रा./2018/1728 विरूद्ध आदेश दिनांक 04.01.2018 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 8/16-17/अपील.

रामप्रसाद सिंह पुत्र श्री भगवानसिंह
निवासी 108, बैंकर्स कॉलोनी, थाठीपुर, ग्वालियर .....आवेदक

विरूद्ध

1. मध्यप्रदेश शासन द्वारा अपर कलेक्टर,
   जिला ग्वालियर,
2. अनुविभागीय अधिकारी, झांसी रोड, जिला ग्वालियर .....अनावेदकगण

श्री कमल जैन, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 27/11/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित दिनांक 04.01.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि राजस्व निरीक्षक ग्राम मेहरा के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, झांसी रोड के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया गया कि ग्राम मेहरा के सर्वे क्रमांक 737, 738, 739 मिन-1, 739 मिन-7 किता 4 रकबा 1.222 है, पर

हरदोल गार्डन का बिना डायवर्सन के व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है। उक्त पतिवेदन के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा 25/15-16/172(4) दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई एवं आदेश दिनांक 07.01.2017 से प्रकरण में उपलब्ध तथ्यों एवं साक्ष्य के आधार पर बाजारू मूल्य का 20 प्रतिशत रू. 2,22,70,000/- रू. अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अपर कलेक्टर, जिला ग्वालियर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 09.10.2017 को आदेश पारित कर अपील अस्वीकार की गई। अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 04.01.2018 को आदेश पारित कर अपील आंशिक स्वीकार करते हुए अपर कलेक्टर का आदेश निरस्त किया गया। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा असत्य आधारों पर आवेदक पर प्रतिकर की राशि अधिरोपित की गई है। राजस्व निरीक्षक की स्थल जांच प्रतिवेदन में कुल 12,500 वर्गफीट भूमि को व्यपवर्तित किए जाने का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है और स्वयं के प्रतिवेदन में 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि को परिवर्तित होना बतलाया है, जबकि राजस्व निरीक्षक के द्वारा स्वयं ही विस्तार से निर्मित क्षेत्र के क्षेत्रफल का वर्णन किया है, लिहाजा इस प्रकार से गलत रकबे पर व्यवसायिक मान से बाजार मूल्य की गणना की गई है, जो पूर्ण रूप से गलत है, क्योंकि व्यपवर्तन कर कृषि भूमि के बाजार मूल्य की गणना करके ही किया जाता है। इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 07.01.2017 पारित किया गया।

(2) यहां यह भी उल्लेखित है कि प्रेषित कथित सूचना पत्र में संहिता की धारा 172 के प्रावधानों उपबंधों का उल्लेख किया गया है और उक्त प्रावधानों के अंतर्गत संबंधी निष्कर्ष भी दिये गये हैं, जबकि आश्चर्यजनक रूप से भू-राजस्व संहिता, 1959 के अंतर्गत कार्यवाही करने हेतु सर्वप्रथम भूमि का व्यपवर्तन करना आवश्यक है, परंतु उक्त विधिक प्रावधानों के

विपरीत सम्पूर्ण कार्यवाही आवेदक के विरूद्ध पावधानित की गई है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

(3) संहिता की धारा 172 के अंतर्गत कार्यवाही करने के पूर्व संहिता की धारा 172 में उपबंधित प्रावधानों का अनुसरण न किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अवैधानिकता कारित की गई और उक्त अवैधानिकता के कारण पारित विवादित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

(4) प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में प्रीमियम की राशि व अर्थदण्ड की राशि के संबंध में विधि विरूद्ध रूप से प्रावधानों के विपरीत गणना कर उक्त का उल्लेख विवादित आदेश में किया गया है, जिस कारण से विवादित आदेश व सम्पूर्ण कार्यवाही निरस्त किये जाने योग्य है।

(5) आवेदक द्वारा दिनांक 12.10.2017 को तहसीलदार के समक्ष जरिये चैक क्रमांक 000322 रूपया 20,00,000.00 रूपया जमा करा दी गई है।

(6) इस न्यायालय द्वारा प्रकरण क्र. 3635/पीबीआर/2015 आदेश दिनांक 27.01.2016 को पारित कर 43,56,000/- का एक प्रतिशत अर्थदण्ड 43,560/- रू. अधिरोपित किया गया है। इसी प्रकार प्रकरण क्र. पीबीआर/निगरानी/ग्वालियर/भू.रा./2017/1869 आदेश दिनांक 20.06.2018 को पारित आदेश निरस्त किये जाने बावत् आदेश पारित किया गया है। अत: उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसंगत आदेश पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। अत: उनके द्वारा निगरानी निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश स्थिर रखने का अनुरोध किया गया।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा गणना के संबंध में जो आपत्तियॉ ली गई है, वह सही नहीं है । प्रिमियम की गणना करने में कोई त्रुटि प्रकरण के तथ्यों के देखते हुये नहीं हुई है । आवेदक के अन्य तर्को पर विचार करते हुये अपर आयुक्त ने पहले ही

आवेदक को अपर कलेक्टर द्वारा अधिरोपित अर्थदण्ड में पर्याप्त छूट दी गई है, जिसमें पुन: विचार करने के कोई आधार नहीं है । अत: अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.01.2018 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर